न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 32/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भोपालसिंह पुत्र जवारसिंह 2. हरिसिंह पुत्र जवारसिंह 3. जबरसिंह पुत्र जवारसिंह 4. रामेश्वरसिंह पुत्र नैनारामजी 5. बाबूसिंह पुत्र नैनारामजी 6. भेरूसिंह पुत्र नैनारामजी 7. श्रीमती सरस्वतीदेवी पत्नी स्व0 भंवरसिंह 8. हितेषसिंह गोदपुत्र भंवरसिंह सभी जाति राजपुरोहित निवासियान बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. नेमीचंद पुत्र मूलचंद 2. बाबूलाल पुत्र मूलचंद 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद (तर्क–डिलेट) 4. नरेश कुमार पुत्र मूलचंद 5. मनोहरलाल पुत्र मूलचंद 6. फतेहचंद पुत्र मीठालाल सभी जातियान ओसवाल निवासियान बालोतरा 7. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर 8. सहायक अभ्यिंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा 9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण।

निर्णय दिनांक 05.08.2022

वादीगण के वाद पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 834 रकबा 03.07 बीघा किस्म बारानी अव्वल अवस्थित रही है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी संवत 2030 से 2049 की साथ में प्रस्तुत की एवं चालू जमाबंदिया , नक्शा किश्तवार एवं नामान्तरकरण संख्या 1996 की प्रति संलग्न है। तदोपरान्त उक्त भूमि को वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया जावेगा।

वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 834 रकबा 03–07 बीघा पुराने खसरा संख्या 440 रकबा 05 बीघा का समरूपी (साबिका) रकबा रहा है। उक्त भूमि में सें 07 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के खाते में प्रस्तावित पूल के नाम व सड़क के लिये मूल रकबे से कम करके खसरा संख्या 834/1 वर्तमान खसरा संख्या 1457/834 रकबा 07 बिस्वा तत्समय में नामान्तरकरण संख्या 1996 के माध्यम से दर्ज किया गया। किन्तु उक्त प्रस्तावित की गई भूमि का न तो मौके पर कब्जा वादीगण से प्राप्त किया और न कभी उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को सुपुर्द ही किया और न ऐसा करने के संबंध में कोई नोटिस या सूचना ही वादीगण को परिदत्त ही की गई। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई पूल या सड़क का निर्माण [illegible] योजना नहीं है। क्योंकि उक्त प्रस्तावित पूल के विकलप में लूणी नदी पर [illegible] रही हाईवे रोड़ पर पूल का निर्माण करवाया गया है व [illegible] भी मौके पर वर्षो पहले पूल बनाया जा चुका है, इस प्रकार प्रस्तावित योजना सफल नहीं हो सकी । प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के द्वारा इस भूमि के अवाप्ति के पश्चात भूमि के बदले न तो कोई मुआवजा ही जमा करवाया गया और न ही मुआवजा खातेदार वादीगण को अदा किया । विधि अनुसार बिना मुआवजा राशि अदा किये अवाप्ति की कार्यवाही अपने आप ही शून्य हो जाती है, इसलिये अब उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अपने खाते में

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:03 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

। रखने के अधिकारी नहीं है। अलावा इसके भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभिन्न परिपत्रों एवं विपत्रों द्वारा भी इस भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने हेतु समय समय उच्च अधिकारियों को लिखा व मुआवजा की राशि के भुगतान का कोई औचित्य नहीं बताते हुए भुगतान न करने का भी लिखा। इसके अलावा वर्तमान में उक्त पूल निर्माण करने की कोई योजना नहीं होना बताया गया। जिससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 834/1 रकबा 07 बिस्वा वर्तमान नये खसरा संख्या 1457/834 की भूमि प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क एवं पूल बनाने की आवश्यकता नहीं रहीं है। अलावा इसके नक्शा किश्तवार में उक्त भूमि को मूल खसरे में से आज दिन तक तरमीम तक नहीं किया गया है। यानि उकत सम्पूर्ण भूमि 03–07 बीघा पर आज रोज भी कब्जा काश्त वादीगण का ही स्पष्ट रूप से साबित है। अलावा इसके उक्त अवाप्त सुदा की अवाप्ति की कार्यवाही को माननीय जिला न्यायाधीश बालोतरा के द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 09/1997 अयोध्या प्रसाद बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग में तारीख 22.12.2004 को निर्णय पारित कर निरस्त कर दिया । इस प्रकार उक्त अवाप्ति की कार्यवाही का कोई प्रभाव नही। रहा है।वादीगण के खाते में अवाप्त सुदा भूमि को जोड़ने हेतु स्टेच्यूटरी नोटिस भी दिया, किन्तु बावजूद नोटिस के प्रतिवादीगण ने उपरोक्त अनुतोष अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसी स्थिति में वादीगण को विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ वाद पत्र संस्थित करना अति आवश्यक हो गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अवैध व अनुचित तरीके से अपने खातेदारी के पुराने खसरें की भूमि के रकबे से अधिक खातेदारी गलत तथ्य बताकर एवं सही तथ्यों को छिपा कर प्राप्त की , और उक्त गलत प्रविष्टियों की आड़ में मौके पर वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 834 रकबा 03–07 बीघा (नये खसरा संख्या 1457/834 सहित) में एवं उक्त भूमि की सुरक्षार्थ बनी कदीमी कुदरती माठ पर खड़े पुराने बबूल इत्यादी के पेड़ों को जे.सी.बी. मशीन लगाकार दिनांक 28.03.2015, 29.03.2015 व 30.03.2015 को नष्ट करने कार उपक्रम किया एवं कुछ पेड़ काटकर चुरा ले गये, जिससे वादीगण को नुकसान हुआ। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता8 को वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त मालिकना की उक्त भूमि में अवैध व अनुचित तरीके से प्रवेश करने का कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और वादीगण को धमकी दी कि किसी सूरत में हम वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि पर कब्जा किये बिना नहीं रूकेगे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को ऐसा [illegible] नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 कानून हाथ में लेकर ऐसा करने [illegible] फल [illegible] जाते है तो वादीगण अपने विधिक हिस्से की भूमि से [illegible] आर्थिक क्षति होगी। प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध [illegible] चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्त में निवेदन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 1457/834 रकबा 07 बिस्वा (पूर्व खसरा संख्या 834/1) का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। माफिक घोषणा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे। साथ ही बाद घोषणा प्रतिवादीगण

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

1 ता 9के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि खसरा नं0 834 कबा 03–07 बीघा(खसरा संख्या 1457/834 सहित) मौजा बालोतरा में वादीगण के कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप बाधा अवरोध नहीं करे। वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1,4,5,6 की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गयां तथा प्रतिवादी संख्या 8 की और से भी जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया कि वाद पत्र के पद सं 1 ता 4 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया गया। पद संख्या 6 गलत होने से असवीकार कर प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा नम्बर 834 की भूमि पर न तो कोई दखल अन्दाजी की व न ही कब्जा करने की कोई धमकिया दी। बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 811 व 1634/810 कुल रकबा 06–06 बीघा की स्थित है। वादीगण की नियत में प्रतिवादीगण के खातेदारी की उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करने व भूमि हड़पने की है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खेत सीमा को लेकर विवाद न हो इस बाबत प्रतिवादीगण की और से पूर्व में कई बार पैमाईश करवाने का भी कहा लेकिन वादीगण की और से पैमाईश करवाने में भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया।वादीगण को प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार की धमकिया नहीं दी और दिनांक 28.03.2015, 29.03.2015 व 30.03.2015 को दरमियानी माठे तोड़ने या पेड़ काटने का उपक्रम नहीं किया गया। वादीगण झूठे कथनानुसार कोई वाद का हैतुक पैदा नहीं हुआ।

अन्त में निवेदन किया गया कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार अनुतोष पाने के हकदार नहीं है। वादीगण का प्रथम दृष्टया काबिल खारिज के है। वादीगण का वाद पत्र को खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 की और से जवाब दावा प्रसतुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाबदावा का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 की मृत्यु हो जाने से वादीगण वकील के द्वारा तर्क करने का निवेदन करने पर डिलेट किया गया।

प्रतिवादी संख्या 8 की और वाद पत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त 07 बिस्वा भूमि प्रस्तावित पूल व सड़क के लिये तत्समय में नामान्तरकरण संख्या 1996 के माध्यम से दर्ज किया गया। उक्त भूमि का कब्जा तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 04.08.1997 को सा.नि.वि. को दिया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि [illegible] वादीगण के मालिकाना की थी, यह राजस्व विभाग से संबंधित है। सा.नि.वि. को उक्त भूमि की सड़क एवं पूल बनाने की आवश्यकता नहीं होने से मुक्त की जा चुकी [illegible] वर्तमान में उक्त भूमि अवापित से मुक्त है तथा पुनः नामान्तरकरण राजस्व विभ[illegible] संबंधित हैं इस विभाग का कोई अतिक्रमण नहीं है।

वाद पत्र में निम्नाकित तनकीयात बिन्दु कायम किये गये:–

1. यह कि आया वादग्रस्त खसरा सं. 1457/834 रकबा 07 बिस्वा के खातेदारी अधिकार पाने के हकदार है? जिम्में वादीगण

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh S…
Date: 2022.10.01 19:56:03 I…
Reason: SelfAttested

. आया वादीगण बाद घोषणा कुल खसरा संख्या 834 के मूल रकबा 03–07 बीघा के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? जिम्मे वादीगण

3. सहायता?

उपरोक्त तनकीयात कायम किये जाने के बाद साक्षी वादीगण में पी डब्लू 01 श्री भोपालसिंह गवाह का मुख्य परीक्षा सवरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।जिसकी प्रति प्रतिवादीगण वकील को दिनांक 10.03.2021 को दिलाई गई। प्रतिवादीगण वकील के द्वारा बावजूद अवसर प्रदान करने पर जिरह नहीं करने पर दिनांक 28.02.2022 को दस्तावेत प्रदर्श कर वादीगण के बयान कलमबद्ध किये गये, तत्पश्चात दिनांक 27.06.2022 को वादीगण वकील के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्रावली आज सुनवाई पर लेने हेतु प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वादीगण से जिरह करना चाहता हूँ की टिप्पणी अंकित की गई। दिनांक 11.07.2022 29.07.2022व 05.08.2022 को जिरह हेतु पर्याप्त पुनः अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी जिरह नहीं करने पर जिरह का अवसर बंद किया गया।

वादीगण के विद्धवान अधिवक्ता ने वाद पत्र पर सीधी बहस कर निस्तारण करने का निवेदन किया गया। जिस पर वादीगण के विद्धवान अधिवक्ता की एक पखीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 08 के जबाब दावा में अंकित तथ्यों के अनुसार उक्त भूमि वर्तमान अवाप्ति से मुक्त तथा पुनः नामान्तरकरण राजस्व विभाग से संबंधित है इस विभाग द्वारा कोई अतिक्रमण हटाया गया है। इसलिए वादीगण को 07 विस्वा भूमि का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया गया। वाद पत्र का हमने अवलोकन किया गया बाद अवलोकन तनकीवार विवेचन निम्न अनुसार किया गया।

1. तनकी संख्या 01 यह कि आया वादग्रस्त खसरा सं. 1457/834 रकबा 07 बिस्वा के खातेदारी अधिकार पाने के हकदार है? इस तनकी को साबित करने का भार जिम्में वादीगण था वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्षी वादीगण मे दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 16 कराये गये। खेत खसरा संख्या 834 की भूमि नामान्तरकरण संख्या 1996 प्रदर्श संख्या–04 के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज थी जिसे नामान्तकरण संख्या 1996 जरिये खसरा संख्या 834/1 रकबा 07 विस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा के नाम दर्ज की गयी। माननीय जिला न्यायाधीश बालोतरा के द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 09/1997 अयोध्या प्रसाद बनाम सार्वजनिक [illegible] में तारीख 22.12.2004 को निर्णय पारित कर भूमि अवाप्ति अवार्ड [illegible] दिया है जो दस्तावेजात प्रदर्श–11 है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग [illegible] जबाब दावे में इस तथ्य की पुष्टि की है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग [illegible] उक्त भूमि की सड़क एवं पूल बनाने के लिए आवश्यकता नहीं होने के कारण [illegible] में यह भूमि अवाप्ति से मुक्त की जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क या पूल बनाने के लिए अवाप्ति की गयी भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। वादीगण को वादग्रस्त आराजी 07 विस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh So
Date: 2022.10.01 19:56:03 IS
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

का भूमि अवाप्ति प्रकरण में किसी प्रकार का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए वादीगण अपनी खातेदारी पुनः दर्ज कराने के अधिकारी है। लिहाजा तनकी संख्या 01 को वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर बखुबि साबित किया गया है। तनकी संख्या 01 को वादीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

2. तनकी संख्या 02 आया वादीगण बाद घोषणा कुल खसरा संख्या 834 के मूल रकबा 03–07 बीघा के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण के द्वारा तनकी संख्या 01 को बखुबि साबित किया है इसलिए तनकी संख्या 02 को भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार कर मौजा बालोतरा के खसरा संख्या 1457/834 रकबा 07 विस्वा वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी –अपनी खातेदारी का नियमानुसार सीमाज्ञान/नेखमबंदी करवा कर अपनी अपनी हद में रहे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिग्री पर्चा मुर्तिब हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:03 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 32 / 2015

वादीगण

1. भोपालसिंह पुत्र जवारसिंह
2. हरिसिंह पुत्र जवारसिंह
3. जवरसिंह पुत्र जवारसिंह
4. रामेश्वरसिंह पुत्र नैनारामजी
5. बाबूसिंह पुत्र नैनारामजी
6. भेरूसिंह पुत्र नैनारामजी
7. श्रीमती सरस्वतीदेवी पत्नी स्व0 भंवरसिंह
8. हितेषसिंह गोदपुत्र भंवरसिंह

सभी जाति राजपुरोहित निवासियान बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नेमीचंद पुत्र मूलचंद
2. बाबूलाल पुत्र मूलचंद
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद (तर्क–डिलेट)
4. नरेश कुमार पुत्र मूलचंद
5. मनोहरलाल पुत्र मूलचंद
6. फतेहचंद पुत्र मीठालाल

सभी जातियान ओसवाल निवासियान बालोतरा

7. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर
8. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री अचलाराम थोरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दायलाह अनुपस्थित पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **वादीगण के वाद को स्वीकार कर मौजा बालोतरा के खसरा संख्या 1457 / 824 रकबा 07 विस्वा वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी –अपनी खातेदारी का नियमानुसार सीमाज्ञान / नेखमबंदी करवा कर अपनी अपनी हद में रहे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।** बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.08.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	4.00			2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00				
स्टाम्प वजह सबूत					
खर्चा गवाहान					
फीस कमिश्नर					
बबत इजराय					
हुम्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान	5.00			2.00	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:36:03 IST
Reason: SelfAttested